न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 494–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–1–2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर प्रकरण कमांक 4 अ/6/2012–13.

श्रीमती गुम्फाबाई पति पाण्डुरंग पाटील
निवासी ग्राम बोरसर
तहसील एवं जिला बुरहानपुर ..... आवेदिका

विरूद्ध

1– कैलाश पिता सोपान पाटील
निवासी ग्राम बोरसर
तहसील एवं जिला बुरहानपुर

2–' श्रीमती दुर्गाबाई पति सतीश पुत्री सोपान पाटील
निवासी पुलिस हेड क्वाटर, नासिक (महाराष्ट्र)

3' श्रीमती देवकाबाई पति दत्तू पुत्री सोपान पाटील
निवासी नेसांग
तहसील मुक्ताईनगर जिला जलगांव महाराष्ट्र

4– चिंधुबाई पति बाबुराव
निवासी मानेगांव
तहसील मुक्ताईनगर
जिला जलगांव महाराष्ट्र .....अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/5/14 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–1–12 के विरूद्ध प्रथम अपील अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय

अधिकारी, बुरहानपुर के समक्ष दिनांक 30–10–12 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र तथा अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 को अपील पेश करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 4 अ/6/2012–13 दर्ज कर दिनांक 16–1–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर विलम्ब क्षमा किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में न तो आदेश की जानकारी का दिनांक एवं जानकारी का स्रोत दर्शाया गया है, और न ही विवादित आदेश की सत्य प्रतिलिपि हेतु किस दिनांक को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, इसका कोई उल्लेख किया गया है । जबकि अनावेदकगण का दायित्व था कि वे जानकारी का दिनांक एवं जानकारी का स्रोत का उल्लेख करते हुए दिन प्रतिदिन के विलम्ब का कारण दर्शाते । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब को सदभाविक मानने में गंभीर भूल की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण को चाहिए था कि वे आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के बाद अविलम्ब अपील प्रस्तुत करना था, क्योंकि पूर्व में ही विलम्ब हो चुका था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए विलम्ब क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील के साथ विवादित आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई थी, और न ही सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत न किये जाने के संबंध में कोई सहायता चाही गई थी, और बाद में आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई थी, जो कि विधि विपरीत कार्यवाही है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियां अनावेदकगण के स्वामित्व की भूमि है, जिस पर तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आवेदिका का नाम दर्ज करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका कमांक 4 को जो सूचना पत्र जारी किया गया है, वह ग्राम बोरसर के पते पर भेजा गया है, जबकि वह उक्त

पते पर निवास नहीं करती है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया है और अनावेदक कमांक 4 चिन्धुबाई को गलत पते पर सूचना पत्र तामील कराया गया है । स्पष्ट है कि सूचना पत्र की तामीली संदिग्ध है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार के प्रकरण से होती है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये उनके आदेश में हस्तक्षेप का कोई औचित्य इस निगरानी में नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायिक दृष्टि से उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर